IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards SQMS

संख्या /ए–5/145 दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, मुरादाबाद के पत्रांक–403/डब्लू–12 एम/30 दिनांक 27.04.2017 द्वारा मझोला योजना सं0–4 भाग–2, मुरादाबाद स्थित सेक्टर–12 में स्व वित्त पोषित योजना–2016 के अन्तर्गत 75/200 प्रकार के 38 नग सेमी फिनिश्ड भवनों के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

1–कार्य का विवरण	मझोला योजना सं0–4 भाग–2, मुरादाबाद स्थित सेक्टर–12 में स्व वित्त पोषित योजना–2016 के अन्तर्गत 75/200 प्रकार के 38 नग सेमी फिनिश्ड भवनों के निर्माण कार्य।
2–आई0डी0कोड सं0	074228
3– प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का संदर्भ	अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या–288/ए–5/145 दि0 25.01.2017 के द्वारा रु0 457.44 लाख
4– तकनीकी स्वीकृति की धनराशि	रु0 457.44 लाख
5– लेखा शीर्षक संख्या	179/241/16–17

प्रतिबन्ध

1– कार्य की निविदा का नियमानुसार व्यापक प्रचार–प्रसार राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराते हुए एवं परिषद की वेब साइट पर देते हुए किया जायेगा।

2– नियमानुसार निविदा आदि की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त की जायेगी।

3– कार्यो का सम्पादन मुख्य अभियन्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्टियों/प्राविधानों के अनुसार कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त किया जाये।

4– विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की दरों एवं विभिन्न मदों मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा ।

5– कार्य सक्षम स्तर से अनुमोदित ले–आउट प्लान/ड्राइंग, अनुमन्य मृदाधारण क्षमता तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित परिकल्पना के आधार पर कराया जायेगा।

6– तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय नही की जायेगी।

7– प्राक्कलन में सम्मिलित इंजीनियरिंग एप्रीसिएशन/बाजार दरों को आधार नही माना जायेगा, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए ही कार्य कराया जायेगा ।

8– अन्य शर्ते निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार रहेंगी।

(मो0 सलीम अहमद)
मुख्य अभियन्ता

पृ0सं0: 1409 /ए–5/145 दिनांक 12.5.2017

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ ।

2– अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद/लखनऊ।

3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–24/अधिशासी अभियन्ता (पी0–2) उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद/लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता 9/5/17

Altc-1